रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270685
CG-DL-E-05032026-270685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
No. 150]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

सा.का.नि. 156(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: उक्त पद की पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सहायक निदेशक (राजभाषा)।	3* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, समूह 'क', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100-177500/- रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
2 (दो) वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा।	**प्रोन्नति:-** (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु.44900-142400) में ऐसे वरिष्ठ अनुवादक, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और सरकार के अधीन किसी संस्था से सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। विद्यमान पात्रता सेवाओं का प्रतिधारण- **टिप्पण:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, उन पर भी सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति: (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (रु.53100-167800) या समतुल्य में नियमित

		आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (रु.47600-151100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की सेवा की है; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (रु.44900-142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: **आवश्यक** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ या हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ या हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इस दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हों, के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी में शब्दावली (शब्दावलीय कार्य) प्रयोग या लागू करना और अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपर्ययेन, अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और

		अंग्रेजी के अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीय:** मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा में संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न भाषाओं में किसी भाषा का अध्ययन किया हो। **टिप्पण 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत् केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष; (2) अपर सचिव, राजस्व विभाग –सदस्य; (3) प्रवर्तन निदेशक –सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे :-** (1) प्रवर्तन निदेशक –अध्यक्ष; (2) विशेष प्रवर्तन निदेशक - सदस्य; (3) अपर प्रवर्तन निदेशक (मुख्यालय) -सदस्य।	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. A-12018/5/2022-Ad.ED-DoR]

राजीव लोचन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2026

G.S.R. 156(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director (Official Language), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director (Official Language), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix**. — The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Director (Official Language).	03* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Group 'A', Gazetted.	Level10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
9	10	11
2 (Two) years.	Promotion failing which by Deputation including Short Term Contract.	**Promotion:** Senior Translator in Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant area from an institute under the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Retention of existing eligibility service - **Note:-** Senior Translator in Level – 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix who have completed three years' regular service in the grade on the date of notification of these rules will be also considered for the purpose of promotion to the post of Assistant Director (Official Language).

		Deputation: (Including Short-Term Contract) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or statutory or autonomous organisations:- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in **Level 9** in the pay matrix (Rs 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in **Level 8** in the pay matrix (Rs. 47600 – 151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years service rendered after appointment thereto on a regular basis in **Level 7** in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Masters degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of the examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of the examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with hindi medium and English as a elective or compulsory subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and other as a compulsory or elective subject at the degree level; and

		(ii) Three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institutions; or Three years experience of teaching in Hindi and English or Research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Autonomous Bodies or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institutions. **Desirable:** Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10^{th} standard from a recognised Board. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
12	**13**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; (2) Additional Secretary, Department of Revenue – Member; (3) Director of Enforcement -Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of:-** (1). Director of Enforcement - Chairman; (2). Special Director of Enforcement Directorate – Member; (3). Additional Director of Enforcement Directorate (Headquarters) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

[F. No. A-12018/5/2022-Ad.ED-DOR]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA